DRA:We are not disputing your ruling. But he should be bold enough to say that he did not say that...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN : At least he was bold enough to respond. Now, we move on to the other item. Mr. Sukomal Sen has to speak. Yes, Mr. Sukomal Sen.

DISCUSSION ON THE THIRTY-FIFTH, THIRTY-SIXTH AND THIRTY-SEVENTH REPORTS OF THE UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Madam, it is very difficult to deal with the UPSC Reports, three voluminous Reports, in the heat of the debate on the Thakkar Commission Reports and other issues. Anyway, Madam, time is also short. So I would like to point out some of the salient features of the UPSC Reports, 1984-85, 1985-86 and 1986-87. Madam, what I want to say is that these three voluminous Reports for three years by the UPSC are full of indictment of the Central government, in which they are ignoring the recommendations of the UPSC. Madam, not only that. It appears from these Reports that the number of disciplinary cases in higher services is on the increase. It appears that in 1978-79, Madam-- I am quoting from these Reports-- the number of cases in which punishments were recommended by the UPSC to the government was 235 ; 151 are pending. It means 386 cases were pending with the UPSC in 1978-79. In 1984-85 it appears that 403 disciplinary cases were communicated by the Central Government and 75 cases remain with the UPSC. In 1985-86, 400 cases were communicated, and 54 cases remain. It means that in 1984-85 there were 478 disciplinary cases with the UPSC. And in 1985-86 there was a total of 468 disciplinary cases in UPSC in comparison to 386 in 1978-79. It means during these 7-8 years at least an increase of 100 cases was there--disciplinary cases in the higher administrative services of the Government.

[*The Vice-Chairman (Shri B. Satyanarayan Reddy)* in the Chair]

Now, Madam...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): No Madam. Madam gone inside *(Interruptions)*

SHRI SUKOMAL SEN: Now, Sir, I would like to point out certain other features which are very much disturbing. The UPSC has pinpointed those areas. that is about *ad hoc* and irregular appointments. Sir, you must be aware of the fact why these *ad hoc* and irregular appointments were made by the Government. To a certain extent these are cases of nepotism, favouritism and also for distributing political favours. Sir, the UPSC has stated that in different ways they are trying to increase the number of *ad hoc* and irregular appointments. Now, Sir, there is a system of notification of the recruitment rules. But the Government is deliberately delaying the notification of recruitment rules. Under the shelter of this delay the Government is trying to make **ad hoc** and irregular appointments. What the Report has said in 1984-85 is quite revealing. Sir, the Report says:

"The notification of recruitment rules for various posts and services drawn up in consultation with the Commission is continuing to be delayed considerably by the Ministries/ Departments despite the instructions issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms on August 13, 1969 and May 22, 1979."

The Government instructions on the subject reguire this to be notified either within four weeks of advice received from the Commission. But the Government is delaying. Then the commission says that out of 553 cases pending notification regarding recruiting rules, there are 54

[Shri Sukomal Sen]

such cases after six months, 96 after one year, 146 after two years, 46 after three years, 40 cases after 4 years and 97 cases after 5 years. This is the statement made by the Commission about the functioning of the government. Then the Commission says that the delay in notification of recruitment rules is the main reason in continuing a large number of existing ad hoc and irregular appointments in the government. I would like to know from the Government why they are deliberately delaying the notification of recruitment rules. Is is for the appointment of some ad hoc and irregular appointments.

Sir, the Commission further goes on to say that the Commission has repeatedly asked the Government not to make recruitment on ad hoc and irregular basis. They further say that if the Government has to do so, it should be only for one year. They should notify such appointments to the Commission so that they can make regular appointments. But they have not done it. As a result, the Commission has decided to set up a special cell in their office to monitor ad hoc appointments. What is this? The Commission has been compelled to set up a special cell to monitor this procedure of ad hoc appointments so that ad hoc appointments are done away with and regular appointments are made. This is the way in which the Government is functioning. The Commission is very much concerned about this attitude of the Government.

Sir, the Commission has further indicted the Government for non-acceptance of the Commission's advice in various aspects such as promotion of officers, cases of disciplinary action, etc. I find from the reports that the Government has refused to accept the advice of the Commission. This is what the Commission says. I quote from the 1986-87 report, page 27:

"Non-acceptance of Commission's advice by the Central Government mentioned in the Annual Report of the last year increased during the year 1986-87 also. As against 15 cases of non-acceptance of Commission's advice in 1985-86, there were 30 such cases during 1986-87."

What were these cases? Out of 30 cases, promotion cases were 15. In 15 cases of promotion, the Government refused to accept the advice or recommendation of the U.P.S.C. What does it mean? It means that the Government, ignoring the advice of the U.P.S.C., promoted certain higher level officers. It means that some favourites were promoted depriving the other who were seniors and who deserved promotion. The Commission has further mentioned about the non-acceptance of their advice.

It says:

"For the two years 1985-86 and 1986-87 alone the total number of cases of non-acceptance of Commission's advice was 45, whereas in the previous 35 years (from 1950-51 to 1984-85) the number of such cases was only 57."

It has been only 57 during the last 35 years. But during the last two years, the number of cases in which the Government refused to abide by the recommendations of the Commission was 45. The Commission further says.

"What is even more disturbing is the fact that in as many as 14 out of 30 cases, no reason was given by the Central Government for non-acceptance of the Commission's advice."

The Government did not care even to adduce reasons as to why the Commisson's advice was not being accepted. The Commission further says:

"The trend was more pronounced in the case of promotion of officers."

The picture is very clear. They wanted to promote their favourites only or only the people who were in their good books and not those who work honestly and sincerely. Only those who were able to satisfy the Ministers or the bosses were promoted ignoring the honesty and sincerity of others who deserved promotion. This is the situation. That is why the Commission has said that they have given further instructions to the Government so that they abide by the recommendations of the Commission.

Sir, in this way, if we go through the volumes of the Reports for 3 years, we will find that in a number of cases of discipline, of promotion, of deputation and of transfer, a number of recommendations of the Commission have been flouted by the Government. It indicates that a Commission like the UPSC is being ignored by the Government. If the Government chooses to ignore a Commission like the UPSC, what is the reason for keeping that Commission, for keeping that system? They can do away with it, and the Government can work as they like.

Sir, now I would like to refer to some other points. One point is about the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates in the main Civil Service. Sir, the Commission has made some comments. The Commission says that they recommend the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates for this higher Civil Service with some relaxation of the required qualifications, and then it is required that they should be given some in-service training and instruction so that they can come up with other candidates. Even there, the Commission has said with graphs and charts and figures that there is a big gap between the number of posts earmarked for the SC and ST candidates in the higher administrative service and the number of candidates recommended by the Commission. It means, the number of candidates recommended falls far short of the number of posts earmarked for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. It means that the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates are much less in number than the posts earmarked. What does it indicate, Sir? Although there is relaxation, there is liberalisation for them, even then, they do not come up to the number which is earmarked for them. It means, unless the socio-economic condition of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes is changed, unless there is upliftment in the socio-economic condition, whatever relaxation you give in respect of marks, in respect of other criteria, they cannot come up to the level of the other candidates who come from affluent classes, who come from the educated sections of the society. They cannot compete with them. That is why, Sir, not only some relaxation, but some effective measures should also be taken by the Government. Sir, nobody is hearing. Who is the Minister?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA) : I am here. I am listening. I have the ear-phone.

SHRI SUKOMAL SEN : You are not hearing. You are having the ear-phone but you are talking. What is this? This is not the way, Madam.

SHRIMATI MARGARET ALVA : I am taking down all the points . . . *(Interruptions)* Whatever points are made, they are noted down.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): She is noting down your points.

SHRI SUKOMAL SEN : I know the answer will come from the Box and she will read it out.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am not expected to take down word for word. I am taking down your points.

SHRI SUKOMAL SEN : Sir, what I want to say is that unless the Government takes effective measures for the upliftment of the economic condition of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the other backward classes, it is not possible for them to cope up with the other candidates who come from the affluent sections of the society. That is why, Sir, I would like the Government to take measures in this regard.

Then, Sir, I would like to come to my last point. That is about the language in the Civil Services examination. Sir, in the Civil Services examination, the candidates have the option of answering the General Studies paper a non-language optional paper either in English or in any of the Indian Languages included in the Eighth Schedule of the Constitution. And while the candidates are required to appear in a compulsory paper in one of the Indian languages specified in the Eighth Schedule, those hailing from Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh and Sikkim have been exempted from appearing in this compulsory paper. Sir, it is good that candidates coming from Manipur, Meghalaya, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh and Sikkim have been exempted from appearing in this compulsory paper. Sir, I have a small question. The population of Sikkim also speak in Nepali language, and the population of Darjeeling area where now some sort of autonomy has been given also speak in Nepali language. If the exemption is allowed for the people of Sikkim, why not for the people of Darjeeling area also? So, Sir, I think, equal treatment should be meted out to the population who speak the same language.

With these words, Sir, I conclude.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश). माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग की 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985, 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1986 और 1 अप्रैल, 1986 से 31 मार्च, 1987 तक की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग के 35वें, 36वें, और 37वें प्रतिवेदनों पर जो क्रमश 27 फरवरी, 1986, 28 अगस्त, 1987 और 5 सितम्बर, 1988 को राज्य सभा के पटल पर रखे गये थे उन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया ।

संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के अन्तर्गत गठित एक संवैधानिक निकाय है जिसको संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन कुछ कर्तव्य और कार्य सौंपे गये हैं। संगत अधिनियमों मे जो प्रावधान किये गये हैं उसके अनुसार दिल्ली नगर निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधीन कुछ वर्ग के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध मे आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है । आयोग द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती हैं वे बहुत ही व्यापक हैं । यह केन्द्रीय सेवा की व्यवस्था राष्ट्र के प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियो का केन्द्रीय चयन करने के लिए यह जो प्रक्रिया अपनायी गयी है यह गुप्त साम्राज्य से चली आ रही है । इसी को सभी शासकों ने अख्तियार किया और इसमे समयानुसार परिवर्धन और परिवर्तन युग की आवश्यकता के अनुरूप एवं उसमे बहुत कुछ जोड़ा और घटाया गया। लेकिन यह परम्परा हमारे भारत के गणतंत्र की है, और उस परम्परा का पालन बहुत कुछ अंग्रेजो के शासनकाल में भी होता रहा और आज भी वह परम्परा चली आ रही है । शासन मे लोक कल्याण का समावेश हो इसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन सतत कार्यरत है। सर्वे भवन्तु सुखिन: हमारा मूल मंत्र है । सभी सुखी हों और उनको सुख देने के लिए प्रशासन अपने अधिकारियों का जो चयन करता है उसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन है । अधिकारियों का धर्म सेवा था और दूसरों के हित के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करना सेवक का धर्म होता है । सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है । एक पंक्ति रामचरित मानस की उद्धृत करना चाहता हूं । जब भरत राम को मनाने जाने लगे तो सिर के बल वह जा रहे थे । लोगों ने

पूछा कि सिर के बल क्यों चल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं सेवक हूं और सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है।

सिर मह जाऊ उचित असमोरा,

सबसे सेवक धर्म कठोरा ।

सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है । इस कठोर धर्म का पालन करने का, नियमन करने का दायित्व इस पब्लिक सर्विस कमीशन पर है । लोक सेवा आयोग जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, रेल, तार, राजस्व सभी विभागों के अधिकारियों का चयन करता है । बहुत काल से इन अधिकारियों के चयन मे परीक्षा का माध्यम भी लिया जाता रहा है । इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करुंगा ।

हमने सन् 84-85, 85-86, 86-87 की रिपोर्ट देखी है और जो सिफारिश पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से कार्मिक प्रशिक्षण विभाग में उसमें से कुछ चीजों पर रोक लगा दी है जैसे रक्षा, अनुसंधान, विकास संगठनों के पदों को आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के सम्बन्ध मे आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है । केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समूह 'क' और 'ख' के पदों को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है । इसी तरह से योजना आयोग में एक सलाहकार ग्रामीण उर्जा की भर्ती, दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ स्कूल निरीक्षक के पद आदि के सम्बन्ध मे बहुत से पद सरकार ने रोक लिये हैं उसको सीमा से बाहर कर दिया है । हमारे पूर्व वक्ता बहुत अच्छी बात कर रहे थे विवरण देकर के । सबसे बड़ी समस्या है पब्लिक सर्विस कमीशन मे जो आई० ए० एस० हैं... । जो आई० ए० एस० और जो इंडियन फोरेस्ट सर्विस के हैं या जो विदेश सेवा के होते हैं, पुलिस सेवा के कर्मचारी होते हैं, प्राय देखने मे आता है कि उनके परिवार का सदस्य ही चुना जाता है और उन्होंने पुश्तैनी अपनी परम्परा बना ली है। कुछ लोग तो पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं मे बैठते हैं वे उनकी ही सतान होते हैं। यह बहुत से स्थानों मे देखा गया है और इसका विवरण देना होगा तो मैं दूंगा। कितने ही आई० ए० एस० के बेटे, आई० पी० एस० वालों के बेटे या उनके रिश्तेदार या संबंधी उन पदों पर नियुक्त होते हैं। इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं लेकुना है। बड़ा पवित्र हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्माण का लक्ष्य है और जो वहां पर पुश्तैनी रूप से अपने को स्थापित किये हुए हैं, ऐसे जो लोग हैं, यह चिन्ता का विषय है। इस देश में जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसको हमारे संविधान ने समान रूप से अधिकार दिया हुआ है और वह अपनी योग्यता के अनुरूप, अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रतिस्पर्धा से अपनी योग्यता के अनुरूप काम पा सकता है। इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन में या विदेश सेवा में या पुलिस सेवा में या अन्य सेवाओं में जो लोग पहले से हैं उनकी संतानें या उनके रिश्तेदार या भाई बन्धु या भाई-भतीजे लिये जाते हैं तो इसको रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? इसको हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मैं सदन के माध्यम से चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें और इन चीजों को रोकने की कोशिश करें।

बहुत काल से अधिकारियों के चयन का माध्यम अंग्रेजी भाषा है। उपसभाध्यक्ष जी, आप भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं के समर्थक हैं, राष्ट्रीयता में विश्वास रखते हैं। मुझे स्मरण है, एक बार जब मैं जीवन में पहली बार अंग्रेजी में कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो आपने मुझे अवगत किया था कि अंग्रेजी में नहीं बोलना है। संघ लोक सेवा आयोग पर, यू० जी० सी० पर आजकल अखिल भारतीय भाषा संरक्षण परिषद का 6-7 महीनों से धरना चल रहा है। इस देश के नवजवान यह चाहते हैं कि हिन्दी ही नहीं, समस्त भारतीय भाषाओं में परीक्षायें ली जायें। कोई विद्यार्थी जो केरल का है, काश्मीर का है, तमिलनाडु का है, आंध्र का है या नार्थ ईस्ट जोन का है, वह अपनी भाषा में अध्ययन करता है, अपनी भाषा मे आत्माभिव्यक्ति अच्छी होती है, मानसिक मेक अप और विवेक सब कुछ हम अपनी भाषा में अच्छी प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, इसलिए वे लोग हिन्दी और भारतीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाने के लिए पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं, बहुत से इस देश के नये पढ़े लिखे नवजवान जो राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं वहां पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मुख्य मांग है कि 18 जनवरी, 1968 को संसद् के दोनों सदनों द्वारा एक मत से पारित संकल्प के अनुसार आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी परीक्षाओं मे हर स्तर पर अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर भारतीय भाषाओं को परीक्षा का माध्यम बनाया जाए।

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र): आप जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। वे लोग मेरे पास भी आये थे। हमारे मकान के सामने वे अनशन कर रहे हैं। मैं दो दफा उनसे मिलने गया, वे कभी-कभी रात को मेरे घर पर आ जाते हैं। यह सब क्या चल रहा है। वे बोलते हैं कि प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट सुनती नहीं है।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। इस सदन के सर्ववरिष्ठ सदस्य कुलकर्णी जी ने जिस ओर ध्यान आकर्षित किया है, मैं उसी ओर आ रहा हूं। ये बच्चे मेरे पास भी आये थे। कुलकर्णी जी ने उनसे अनुरोध किया था कि तुम लोग रत्नाकर पाण्डेय से मिलो। मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा लेने के लिए मांग कर रहे हैं और 16 अगस्त, 1988 से आयोग के भवन शाहजहां रोड पर सत्याग्रह कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी): पांडेय जी, सभी भाषाओं में परीक्षा होनी चाहिये इसमें कोई...

डा० रत्नाकर पाण्डेय: यह नहीं है। इस संबंध में मैंने स्पेशल मेंशन भी किया है।

SHRI A.G. KULKARNI: When this has been passed by both the Houses, why is the Government not implementing it?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): Government must...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): You should censure them.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): The feelings of the entire House should be conveyed to them.

SHRI A.G. KULKARNI: You direct the Government that it should be implemented. You are in the Chair now.

SHRIMATI MARGARET ALVA: There will be a reply by the Minister in-charge. Let us wait till the debate is over.

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी: डाइरेक्टिव देकर क्या करेंगे?

उपसभाध्यक्ष: मंत्री महोदया, सरकार को बता देंगी। ...**(व्यवधान)** इस पर अमल किया जाना चाहिए।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Then what are you doing here, may I ask?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am taking down notes for the Minister-in-charge.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: You are not the Minister-in-charge?

SHRIMATI MARGARET ALVA: No.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Sir, is this the way they should treat this House? The Minister-in-charge is missing. Any Minister present must take upon himself or herself to be the Minister-in-charge. But she says, "I am not the Minister-in-charge".

SHRIMATI MARGARET ALVA: We believe in collective responsibility

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Then you say, "I am the Minister-in-charge". You must say that you are the Minister-in-charge. Now there is no Minister-in-charge in the House and the Chair should adjourn the House till the Minister-in-charge comes.

SHRI M.A. BABY (Kerala): Sir, this is collective irresponsibility by the Government. This cannot be tolerated.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री महोदया भारत सरकार की एक मंत्री हैं और

कलेक्टिव रिस्पांसबिलिटी भारत सरकार की है और मैं समझता हूं कि वे सक्षम हैं। वे यहां बैठी हुई हैं, उपस्थित हैं सदन में, चाहे चिदंबरम साहब की तरफ से, चाहे बूटासिंह जी की तरफ से और चाहे देव जी की तरफ से बैठी हों, उन्हें पूरी रिस्पांसबिलिटी लेनी चाहिए।

मान्यवर, 18 जनवरी, 1968 को संसद में जो हमने संसदीय संकल्प लिया था उस पर मैं आना चाहता हूं। संकल्प था कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निम्नलिखित संकल्प आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है और इसके प्रकाशन की संख्या है एफ/5/8/65-रा० भा० की प्रतिलिपि, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप मेरी बात सुनें। आपके हृदय की बात मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, आप चेयर पर बैठे हुए हैं।

"जब कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी और इसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है,

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग के हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और इसे कार्यान्वित किया जाएगा और किये जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट समद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी को अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है और देश की शैक्षिणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के हेतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिए,

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जब कि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिये प्रभावी उपाय किये जाने चाहिए, यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिये उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं क विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों को पूर्ण परित्राण किया जाए। और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए

यह सभा संकल्प करती है कि:—

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़ कर जिनके लिये ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिन्दी अथवा दोनों जैसी कि स्थिति हो, का उच्च-स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा, और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी।"

मैंने संविधान के 18 जनवरी, 1968 के संकल्प को इसलिए इस सदन के सामने रखा है। हम कार्मिक मन्त्रालय से कोई दया की भीख नहीं मांग रहे हैं। हम भारत सरकार के गृह मन्त्रालय से कोई कुर्ता फैला कर याचना या भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारा पेट भरने के लिए दो। संविधान के ऊपर भारत सरकार का गृह मन्त्रालय नहीं है न कार्मिक मन्त्रालय है। आज जो

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

स्थिति चल रही है हमारे आपके घरों में नौजवान बच्चे जो अपनी आत्म अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, दूसरी भाषाओं में वे अपनी भाषाओं में परीक्षा देने के लिए तड़प रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन और कार्मिक मन्त्रालय में बैठे हुए जो मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दो प्रतिशत इस देश में रह गये हैं वे चाहते हैं कि अंग्रेजी इस देश में अनिवार्य रूप से बनी रहे ताकि इस देश की जनता आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से आत्मसाक्षात्कार न कर पाए ऐसे लोग बहुत बड़े क्रिमिनल्ज हैं। बहुत बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्रभाषा के साथ, भारतीय भाषाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई भी अगर समझौता किया जाता है, उनके सामने सरकार समर्पित करती है, तो सरकार की क्षमता मे देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा। मैं बताना चाहूंगा इसी सदन में मैंने एक विशेष उल्लेख 16 दिसम्बर, 1988 को किया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं हिन्दी और भारतीय भाषाओं में चलें। उसका जवाब श्री पी. चिदम्बरम् राज्य मन्त्री, कार्मिक एवं गृह, भारत सरकार, ने 6 फरवरी, 1989 को दिया है जिसका अंश में पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ।

"प्रिय डा. पाण्डये जी,

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षा के माध्यम के रूप में लागू करने की आवश्यकता से संबंधित दिनांक 16.12.88 को आपके द्वारा राज्य सभा में किये गये विशेष उल्लेख का अवलोकन करें। सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को अंग्रेजी, हिन्दी या सविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखने का विकल्प प्राप्त होता है। इस सुविधा को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सम्बन्ध मे लागू करने के सामान्य प्रश्न की आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब तक आप जांच करेगें। क्यों आप ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में इस तरह के पत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं? कब तक भारत सरकार का गृह मन्त्रालय और पब्लिक सर्विस कमीशन इस सम्भावना की जाच करेगा कि भारतीय भाषाओं की अस्मिता उसके अस्तित्व जो समस्त भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है उसको कब आप आत्मसात करेंगे। यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ। आप इसके लिए कोई तिथि निर्धारित करें। "ऐसा करते समय मूल्यांकन के एक समान मानदण्ड तैयार करने की आवश्यकता तथा परीक्षाओं को आयोजित करने में गोपनीयता बनाए रखने संबंधी सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा, यह आपने अपने पत्र में लिखा है। गोपनीयता हिन्दी और भारतीय भाषाओं में नहीं बन सकती, अंग्रेजी मे बनेगी? क्या मजाक है। ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन और कार्मिक मन्त्रालय खेल रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि गोपनीयता हिन्दी और भारतीय भाषाओं में नहीं रह सकती है केवल अंग्रेजी मे रह सकती है। मान्यवर, रूस ने उन्नति की है, जापान ने उन्नति की है, चीन ने उन्नति की है अंग्रेजी के माध्यम से नहीं की है, अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम से की है। और आज देश को दबाने की कोशिश की जा रही है कि अपनी भाषाओं का प्रयोग लोग न करे, दो परसेंट जो ब्यूरोक्रेटस हैं, दो परसेंट से भी कम बचे हुए है वे पूरे देश को चलायें और आने वाली सन्तानें जो चुनी जायें वे उन ब्यूरोक्रेट्स की सन्तानें हों जो वही भाषा जानती हो और भारतीय भाषाएं न जानती हों। चिदम्बरम जी ने अपने पत्र में लिखा है कि, "आपने अभी उल्लेख किया था कि संघ लोक सेवा आयोग की कुछ परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा का अनिवार्य प्रश्नपत्र शामिल है। यह प्रश्न सामान्यतः मैट्रिक स्तर का होता है"। मैट्रिक स्तर तक क्यों होता है, मैं जानना चाहता हूं, पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग यहां बैठे होंगे, क्यों धोखा दे रहे हैं इस देश को, क्यों राजीव गांधी के सपनों को चकनाचूर करने जा रहे हो अपने व्यक्तिगत एन्ड्स के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? मैट्रिक स्तर तक क्यों आप रखे हुए हैं, हिंदी और भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के साथ क्यों नहीं अनिवार्य करते है जैसा आपने अंग्रेजी को किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सारा कार्य हिंदी में नहीं किया जा रहा है। मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है इस पर।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी पिछले महीने मैं उत्तर प्रदेश में गया था और वहां मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी से संसदीय राजभाषा समिति के आठ सदस्य मेरे अध्यक्षता में मिले। मैंने वहा सारा निरीक्षण किया। हम सब गये थे। तिवारी जी से जब मैंने आग्रह किया कि आपके प्रदेश में हिंदी में काम नहीं होता है तो उन्होंने जो बैग होता है, चीफ मिनिस्टर की फाईल, ऐसे बीसियों बैग मंगवाये और निकालकर पूरी टेबुल पर फैला दिये और हम 40 व्यक्ति उस डेलीगेशन में गये थे सबने देखा कि भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्रालयों का एक भी पत्र उस "क" क्षेत्र में नहीं मिला जो हिंदी में

हो, सब अंग्रेजी में गए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उन पर जो कार्यवाही की थी सब हिंदी में की थी। आपको क्या अधिकार है कि "क" क्षेत्र में आप अंग्रेजी में भेजते हैं, जबकि संविधान में स्वीकृत है कि "क" क्षेत्र में आप हिंदी में ही सारा पत्राचार करेंगे। संविधान के ऊपर किसी भी मंत्रालय को बैठने का अधिकार नहीं दिया जायेगा। अगर कोई मंत्रालय इस तरह की हरकत करता है तो हम संसद सदस्यों का ओज अभी मरा नहीं है, उनको प्रिविलेज में लिया जायेगा और जो संसद का ब्रीच आफ ट्रस्ट हो सकता है उसके अंदर सजा देने की प्रक्रिया पर हम विचार करेंगे। आगे मान्यवर, चिदम्बरम जी ने लिखा है, क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सारा कार्य हिंदी में नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार संबंधित कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें अंग्रेजी का कुछ न कुछ ज्ञान हो भले ही वे अपना कार्य हिंदी में करते हों। चिदम्बरम जी शायद हिंदी नहीं जानते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स ने रख दिया उस पर उन्होंने दस्तखत कर दिये। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रायः भारत मे कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है और इसलिए अहिंदी भाषी क्षेत्रों में कार्य करते समय अपने कार्यों को सुचारु रूप से निष्पादित करने के लिए अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। यह जवाब गृह मंत्री, कार्मिक का, संविधान के प्रतिकूल है। कहीं नहीं लिखा है कि भारत के किसी प्रांत में भेजे जायेंगे तो अंग्रेजी अनिवार्य रूप से बनाये रखी जायेगी। क्या किया है इस पत्र के माध्यम से? मैं इसे चैलेंज करता हूं कि यह जवाब बिल्कुल बनावटी और असत्य है, ब्यूरोक्रेट्स का बनाया गया जवाब मुझे दिया गया है। सिविल सेवा परीक्षाओं के मामले में कोठारी समिति ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं को माध्यम के रूप में अपनाये जाने का सुझाव देते समय अंग्रेजी भाषा के अनिवार्य प्रश्न पत्र की विशेष रूप से सिफारिश की थी। यह सब चलने वाला नहीं है। मैंने कुछ उदाहरण दिये हैं।

उपसेभाध्यक्ष महोदय, दोनों सदनों के लगभग साढ़े तीन सौ या चार सौ संसद सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री जी से लिखित रूप में आग्रह किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में...(**समय की घंटी**) हिंदी और भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी के स्थान पर अनिवार्य किया जाये, और जो परीक्षाएं हम लेते हैं उन परीक्षाओं में...(**समय की घंटी**) सिविल सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, भारतीय अर्थ सेवा परीक्षा, भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे एप्रेंटिस परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा, सहायक ग्रेड परीक्षा, आशुलिपिक परीक्षा, विज्ञान परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा और सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, ये 11 परीक्षाएं हैं और इनमें जो अंग्रेजी की अनिवार्यता बनायी गयी है, यह समाप्त होनी चाहिए। संसद के लगभग ढाढ़े तीन सौ-चार सौ सदस्यों ने माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखकर दिया है। इसलिए मैं कार्मिक मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि आपका नियंत्रण अगर पब्लिक सर्विस कमीशन पर नहीं है...(**समय की घंटी**), आटोनामी के ऊपर इस देश की आने वाली प्रतिभाओं की भाषा भावाभिव्यक्ति, आत्मसम्मान और समान रूप से अवसर अपनी योग्यता के अनुरूप दिये जाने के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका शोषण किया जा रहा है। तो कौन ऐसे लोग हैं? उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि हमारे आई० आई० टी० की परीक्षाएं हिंदी में, भारतीय भाषाओं में नहीं होती थीं। मैंने शिक्षा सचिव से बात की और शिक्षा सचिव ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में परीक्षायें चालू करवा दी। इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग, इंडिया, कलकत्ता की परीक्षा में जो वहां युवक परीक्षा में बैठते थे, तो वह कहते थे कि हम केवल अंग्रेजी में परीक्षा लेंगे सचिव ने कहा कि वह मानते नहीं हैं।

मान्यवर, संसाधन विकास सचिव से मैंने कहा कि उनसे कहो कि मानव संसाधन मंत्रालय आपसे संबंध विच्छेद कर लेगा। सो दूसरे ही दिन उन्होंने वचन दिया कि 1989 की परीक्षायें जुलाई में हिंदी और भारतीय भाषाओं में होने लगेंगी।

पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग इस देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें नहीं तो मैंने दोहराया है कि मैं प्रिवेलेज लूंगा और ब्रीच आफ ट्रस्ट जो संसद में दिया जा सकता है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, वह दूंगा। मैं उसके लिए सदन में याचना करूंगा और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश की भावाभिव्यक्ति का जो माध्यम है भाषा, उसके साथ खिलवाड़ करने की छूट न दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैंने

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

जो उत्तर श्री पी० चिदम्बरम् जी को दिया है, उसको भी हमें मिलना चाहिए। तभी मेरी क्लियर पूरी होगी।

"प्रिय चिदम्बरम् जी,

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लागू करने की आवश्यकता के बारे में दि० 6 फरवरी,1989 का अनुशासकीय पत्र संख्या 420... (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश): 420?

डा० रत्नाकर पाण्डेय: हां। आप भी संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य हैं। ...(व्यवधान)

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am on a point of order. Will you allow me to speak for a second? Three-language policy has been an accepted policy of the Government of India. Until and unless the English language can be replaced ...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): He is not speaking about...

DR. RATNAKAR PANDEY: I am coming to that.

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: I highly respect him. I am not against him, but the way he is speaking, it pinches the non-Hindi speaking people.

DR. RATNAKAR PANDEY: I am not speaking only for Hindi. I am speaking for all the Indian languages. (*Interruptions*).

SHRI DHARANIDHAR BASUMATARI: The attitude, as it is taken by the Hindi people will harm Hindi.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI B. SATYANARAYAN REDDY): He is only speaking in connection with the conduct of examinations as per the decision of Parliament so far as the Public Service Commission is concerned. It should be in all the languages of India. That is what he is saying.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: May I clarify? The three-language formula is for education, not for administration. So far as administration of the Central Government is concerned, it has to be in two languages — English and Hindi. That is what Pandey Ji has been saying, that examinations should be held in both the languages. (*Interruptions*)

SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): As far as the Public Service Examinations are concerned all regional languages have been accepted. That is the demand of all the States. You cannot allow two languages. That has been accepted by the Centre already. (*Interruptions*) We are not for two languages alone. Of course, in administration that is a different issue. As far as examination is concerned, all the fourteen languages under the Scheduled VIII have been accepted and there cannot be any change.

श्री सीता राम केसरी (बिहार): मुझे इस बात का कष्ट है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी अंग्रेजी में हिंदी का समर्थन कर रहे हैं बजाए हिंदी में...(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: वह तो समझाने के लिए था।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: तो मैं कह रहा था संख्या 42019/9/88-स्था. (ख) पत्र के संदर्भ में, यह पढ़ कर कुछ संशोधन हुआ कि सिविल सेवा परीक्षा में उम्मीदवारों को अंग्रेजी, हिन्दी या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी अन्य भाषा में उत्तर लिखने के विकल्प के अनुसार ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में भी

सभी भारतीय भाषाओं में प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के मामले की जांच की जा रही है। भारतीय भाषाओं में परीक्षा दिए जाने की नीति संसद के दोनों सदनों में दिसम्बर, 1967 में पारित राजभाषा संकल्प में निर्धारित की गई थी। मैं आपको संसद में पारित संकल्प का सम्मान किए जाने की आवश्यकता बताने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि संसद के संकल्प को न मानना अपने आप में संसद की अवमानना का उदाहरण बन सकता है। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग की कुछ परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा के अनिवार्य प्रश्न-पत्र का सवाल है, उसका उत्तर संसद के दोनों सदनों में दिसम्बर, 1967 में सर्वसम्मति से पारित ऊपर उल्लिखित संकल्प के अनुरूप नहीं है। उस संकल्प में यह बात साफ तौर पर कही गई थी कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भर्ती के समय अंग्रेजी या हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता होगी। अभी तक केवल अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है और उसके विकल्प (आप्शन) में हिन्दी का प्रश्न पत्र नहीं रखा गया है। कुछ लोगों को ऐसा भ्रम हो सकता है कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र के विकल्प में हिन्दी का प्रश्न पत्र रखने से केवल हिन्दी भाषी ही उसका उपयोग करेंगे। यह विचार सही नहीं है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ने वाले देश भर के छात्रों के लिए अंग्रेजी काफी कठिन भाषा साबित होती है और प्रत्येक कक्षा में देश भर में अधिकांश छात्र केवल अंग्रेजी में फेल होते हैं। इसलिए अनेक प्रदेशों के भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र हिन्दी का प्रश्न पत्र लेना पसंद करेंगे। जहां तक कार्यालयों में अंग्रेजी में काम-काज होने का प्रश्न है, इस संबंध में मुझे यह कहना है कि देश के लगभग सभी प्रदेशों में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय की पढ़ाई हो रही है जबकि कई प्रदेशों में हिन्दी भाषा अनिवार्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जा रही है। ऐसी स्थिति में जब सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को अंग्रेजी का ज्ञान होता ही है तो पुनः उनके लिए अंग्रेजी का अनिवार्य प्रश्न पत्र रखना उचित प्रावधान नहीं है और वह प्रावधान संसद के संकल्प के विपरीत भी है।

संसद के संकल्प के विपरीत आचरण करने का अधिकार किसी मंत्रालय को नहीं है, न किसी पब्लिक सर्विस कमीशन को है और न अन्य किसी को है। यह अवमानना हो रही है, उप-सभाध्यक्ष जी, इसकी रक्षा करिए। इसलिए आपका इस विषय पर विचार करने और इसका हल शीघ्र निकालें जिससे देश के विभिन्न प्रदेशों में सरकार की स्थिति ऐसी न बने और जनता में भावना पैदा न हो कि देश में महात्मा गांधी जी द्वारा राष्ट्रभाषा नाम से जानी गई भारत संघ की राजभाषा हिन्दी की जान बूझकर उपेक्षा की जा रही है और भारतीय भाषाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। विश्वास है आप मेरे पत्र की भावना को समझ कर शीघ्र अनुकूल कार्यवाही कराकर मुझे सूचित करेंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं समाप्त करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे अपने घर के बच्चे चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं के लिए उसके दरवाजे पर हड़ताल करने के लिए बैठें, उनको डंडों से पीटकर पुलिस गिरफ्तार करती है और उन्हें कहा जाता है कि संसद सदस्यों के यहां क्यों जाते हो और इस तरह की जो धमकी, इस तरह का जो अन्याय, वे बेचारे बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। सत्याग्रह करने का अधिकार हर व्यक्ति को है और उनके टैंट उखाड़ लेना, उन्हें जेल भेज देना, उन्हें पुलिस से पिटवाना यह दूसरी तानाशाही पब्लिक सर्विस कमीशन की है। मैं आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय के माध्यम से पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारियों को और गृह मंत्रालय के कर्मचारियों को अगर उन बच्चों पर आंच आई, जो देश के कोने-कोने से आ रहे हैं अपनी आत्मा-अभिव्यक्ति की आवाज उठाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, अगर उनके जीवन के साथ, उनकी सही मांगों के साथ खिलवाड़ करने का प्रशासन ने कोई संकल्प किया तो वह दिन दूर नहीं जब यह जन-आंदोलन का रूप ले लेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में हिन्दी और भारतीय भाषाओं का संचालन सारे देश में एक जन-आंदोलन का रूप लेगा और उस समय सरकार जवाबदेह होगी और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य और ब्यूरोक्रेट

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए सरकार की रक्षा के लिए मैं बड़े विनम्र शब्दों में मांग करता हूं माननीय उप-सभाध्यक्ष जी कि अपने दुराग्रह को माननीय श्री चिदम्बरम् जी छोड़ें और सारी भारतीय भाषाओं को, "एक हृदय हो भारत जननी वसुधैव कुटुम्बकम् का भाषा, का संस्कृति प्रेम चाहिए सांच काम जो आवे कामरी काले करे कवाच" जाड़े में कंबल की जरूरत होती है आप उन बच्चों पर कवाच छिड़क रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं उन बहादुर नौजवानों का अभिनंदन करता हूं संसद के माध्यम से जो अपना सब कुछ छोड़ करके रात दिन पब्लिक सर्विस कमीशन के दरवाजे पर, हिन्दी और भारतीय भाषाओं को परीक्षाओं में अनिवार्यता दिये जाने के लिए बैठे है। इन शब्दों के साथ जो प्रतिवेदन पब्लिक सर्विस कमीशन का रखा गया है सन् 1985 से 1987-88 तक का, उसका मैं समर्थन करता हूं। और विश्वास करता हूं कि कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ हिन्दी के दो हजार वर्षों के इतिहास में, माननीय उपाध्यक्ष जी, जिसने हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया हो। यह स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थीं, जो देवी हैं, जिसने 25 दिसंबर, 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की, गृह मंत्रालय में की और संसदीय राजभाषा समिति का निर्माण किया, जिसमें 10 सदस्य राज्यसभा से चुनकर जाते हैं और 20 सदस्य लोकसभा के विभिन्न दलों के, विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न भाषाओं के चुनकर जाते हैं। हम लोगों ने तीन खण्ड में अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति महोदय के सामने प्रस्तुत कर दी है और आगे भी कर रहे हैं, जल्दी कर देंगे। ऐसी स्थिति में ब्यूरोक्रेट आपके साथ अभिव्यक्ति का माध्यम दूसरी भाषा को बनाकर, हिन्दी और भारतीय भाषाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और जनमानस की आकांक्षाओं की हत्या कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि वही लोग परीक्षा के माध्यम से आयें, जिनको हम चाहें, जो अंग्रेजीदां हो, जो आंग्ल प्रभुओं के स्वयं वंशज हैं। और उन वंशजों को आगे बढ़ाने के लिए जो यह कुचक्र रचा जा रहा है, उसकी मैं भर्त्सना, निंदा करता हूं और इसे अनियमित, असंवैधानिक मानते हुए आप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने हमें बोलने के लिए अवसर प्रदान किया।

उपसभाध्यक्ष जी, माननीय राजीव गांधीजी को दोनों सदनों के 350-400 सदस्यों ने आग्रह किया है, जो कुछ मैंने कहा है, उस सन्दर्भ में। हम विश्वास करते हैं कि हमारे नेता जरूर विचार करेंगे और ब्यूरोक्रेट्स के सुझाव पर विचार न करके इस देश की कोटि-कोटि जनता की भावनाओं की कदर करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि वह दिन दूर नहीं, जब हिन्दी और भारतीय भाषाओं को पब्लिक सर्विस कमीशन का अनिवार्य अंग बनायेंगे। अंग्रेजी दासता का प्रतीक है। आज इस देश में अंग्रेजी पढ़ने वाला गलत अंग्रेजी लिखता है, गलत अंग्रेजी बोलता है, गलत अंग्रेजी समझता है। अंततोगत्वा अंग्रेजी इस देश से जानी है, चाहे आज जाये या कल।

उपसभाध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से मारग्रेट जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी भावनाएं अपने सहयोगी चिदम्बरम् जी को पहुंचावें। हम लोग 36 एम०एल०एज० के वोट से आते हैं और तभी आए हैं, हम कोई स्ट्रीट-वाकर्स नहीं है। इसलिए जिस तरह से ठक्कर कमीशन अनिवार्य है, उससे अधिक अनिवार्यतः पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में हिंदी भाषा को चलाना है, भारतीय भाषाओं को चलाना है। इस कार्य को, मान्यवर, आपके सभापतित्व में आगे लाना है, इस समय आप बैठे हैं, आप हिंदी के प्रश्न पर कभी समझौता करने वाले नहीं हैं, लेकिन आपका यह कर्त्तव्य है उस महान आसन पर बैठकर के, कि आप सरकार को निर्देश दीजिए कि संविधान के प्रतिकूल पब्लिक सर्विस कमीशन और कार्मिक मंत्रालय कोई भी कार्य न करे। अगर कोई कार्य करता है तो उसका प्रिविलेज होना चाहिए। उसको ब्रीच आफ ट्रस्ट के नाम से जो सजा संसद से दी जा सकती है, वह देने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति हृदय से, सारे हिंदी

जगत और भारतीय भाषाओं के जगत की ओर से सादर कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, I do not understand when both Lok Sabha and Rajya Sabha have passed a law for the conduct of examinations in the regional languages, why the UPSC is not serious enough till date to execute the same. My feeling is that the so-called IAS and the UPSC have outlived their utility in this country. Throughout the world, it is the dictum that specialists are replacing generalists. But it is unfortunate that the legacy of the British colonialism is still continuing in this country with the changed nomenclature of Indian Administrative Service, in place of Indian Civil Service. The IAS people, as soon as they get into service, feel like Indian Avtar Service. One day that fellow goes and says I am competent to run a hospital and the next day, he goes to the Railways and says I am competent to run the Railways. Next year, he goes to the Civil Supplies Corporation or the Food Corporation of India and says I am competent to run this department. I fail to understand how a simple graduate from arts or commerce side who failed to get a seat in the medical college or the engineering college at the graduation level can acquire such abundant knowledge to run all the departments. So, my sincere feeling is that it is time, if not high time, that we replaced the generalist system by the specialist system as is done in other countries throughout the world. In almost all the States and at the Centre, there is duplicity in administration. Here, in the Yojana Bhavan — or whatever it is, I do not know the name of the Bhavan exactly—there is a Director-General of Health Services, DGHS. On top of him there is another Secretary, an IAS. The fellow who failed to get a seat in a medical college at his college level, completed his B.A. or B.Com. and was selected to the IAS or something like that and became the top man. The DGHS who has served for more than thirty years, throughout his life, in medical services, carries the files day in and day out and waits at the Under Secretary or the Deputy Secretary. Same is the situation in State Governments too. Those people who are principals of medical colleges or Superintendents of teaching, hospitals will be promoted as Directors of Medical Education in the various States, but the top Secretary sitting in the Secretariat will have the veto power to undo whatever the Director of Medical Education does in his discretion as the administrator. So, I would like to advise the Government. You need not have two Governments, one in the Directorate and the other in the Secretariat. You better chose one person. For medical services, you choose a medical person. For animal husbandry, you choose an animal husbandry person. For agriculture you take a person who is qualified in research etc. for the development of this country. There is no point in bringing an IAS or IPS to man agriculture or medical services. This IAS system spoils this country than any other thing does. Lord Macaulay invented this system of Indian Civil Services to run the colonial rule in this country, to safeguard the interests of the colonial rule and the British Raj. It is very unfortunate that we are still lingering with the legacy of the British colonialism. It is better to change to the specialist system in the place of the generalist system.

At least in the conferment of IAS, half the vacancies should go to the State cadre. When Mr. Charan Singh was the Chief Minister of U.P. — if I remember rightly; Mr. Ram Chandra Vikal will be knowing well — he pleaded that 33.3 per cent should be there for promotion to State cadre. And as Home Minister he did it. He enhanced the state quota from 23 to 33.3 per cent. I would like to suggest that at least 50 per cent of the people from the State cadre should be conferred with IAS and that should be reserved for the State cadre. As far as reservation is concerned, this IAS is like

[Dr. Yelamarchili Sivaji]

a hereditary disease running in some families. It is exclusively meant for some families in this country. There are hardly 400 to 500 families which monopolise IAS and IPS. I do not understand the wisdom of this Government or the framers of the Constitution in allowing the same families to enjoy the benefits of reservation. Certain families in Hyderabad and in Delhi, to my knowledge, are monopolising the system. So I would like to suggest that whenever the father or the mother has enjoyed the benefit of reservation to enter the IAS or the IPS or such services, that benefit of reservation should not be extended to his or her children. That benefit may go to some other families in the same community, be it the SC, the ST or some backward class. Let the benefit not be grabbed by some families.

The IAS system is causing unnecessary friction between the Central Government and the State Governments. It is reality that in more than twelve States there are non-Congress Governments. The confidential of the IAS people are signed every year by the Union Home Minister or the Minister of State for Home Affairs. But, unfortunately, all the IAS and IPS and other officers try to carry favour with the Central Government and they cause some irritation or the other to the State Governments as they have done in some non-Congress (I) States. So, the business of writing the Confidential Report should be delinked from the Central Government and it should be entrusted to the State Governments where they are working. There are umpteen instances in which the IAS and IPS officers were suspended by the State Governments, but they found their way into and shelter in the Central Government and they got themselves transferred to Delhi and they are doing jolly well. So, this aspect should be looked into.

Then, there is the nexus between the IAS and IPS officers and the other UPSC-selected officers and the political outfit, political clout, in this country. This nexus gives rise always to favouritism and to corruption in this country. So, this nexus should be removed.

The IAS people are always urban-biased and they are always against the rural people. Recenty, Shir R. N. Malhotra, the Governor of Reserve Bank of India showed his audacity by calling all the people who are demanding the writing-off of the rural loans as anti-national. Several Congress leaders and several patriots like Shri Prakasam and people like Rajaji had written off the loans extended to the rural sector. I do not know how Mr. R. N. Malhotra has got this audacity to call all these people as anti-national who demand writing off of the loans to the rural sector and the agricultural sector. These people, without any background of the rural sector, without any background of the agricultural sector and without any sympathy for these sectors, are always subserving the interests of the urban people and the people sitting in Delhi, Bombay, Calcutta and other places. So, I would like to suggest that at least 25 per cent of the seats should be earmarked for the rural areas. Since about seventy-five per cent of the people are depending on agriculture and since they live in rural areas, according to the population, 25 per cent of the seats should be earmarked for the rural areas in the IAS and IPS. Thank you, Sir.

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार मानता हूं कि जो प्रतिवेदन यहां प्रस्तुत है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में, उस पर मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह बात अपनी जगह सही है कि जो हमारी परीक्षाएं हो रही हैं संघ लोक सेवा आयोग की वह 11 खण्डों में होती हैं, 11 तरह की परीक्षाएं होती हैं जिनमें से सिविल वाली जो परीक्षा है, वे सभी भारतीय भाषाओं में होती है और उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता एक पेपर में है, बाकी दस ऐसी हैं जिनमें अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी हुई है जो आज देश को बहुत तकलीफदेह मालूम होती है। जैसा पाण्डेय जी ने भी

कहा है कि सन् 1968 में संकल्प पारित हुआ था लोक सभा से, उसमें भी यह कहा गया कि हिन्दी में और क्षेत्रीय हमारी सभी जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें परीक्षाएं होनी चाहिए और अंग्रेजी एक ऐच्छिक विषय में होनी चाहिए। इन चीजों पर संविधान के बावजूद भी अमल न होना, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जिन बच्चों का इन्होंने उदाहरण दिया है, जो संघ लोक सेवा आयोग के सामने अनशन पर बैठे हैं, करीब 8 महीने से। यह बात सच है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ लेकिन पुलिस अधिकारियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने उनके शामियाने वगैरह तनवा दिए। वह अभी भी 8 महीने से बैठे हुए हैं। यह कोई शुभ लक्षण नहीं है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सर्विसिज़ में हिन्दी और भारतीय भाषाएं, इसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता को निकालकर भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको सम्मानपूर्वक रखा गया है, संविधान में भी और रिपोर्ट में भी। लेकिन अमल न होने की वजह से उस पर थोड़ा विवाद खड़ा हुआ है। आज राष्ट्रसंघ में यू०एन०ओ० प्रथम बार तो अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में दिया था और उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे पी०वी० नरसिंहराव जी अब की बार जा कर यू०एन०ओ० में हिन्दी में बोले। मुझे भी अखबारों में रिपोर्ट पढ़ने को मिली कि अभी लंदन में कुछ देशों की मीटिंग हुई जिसमें फ्रांस और यूरोप के कुछ देश थे, उन्होंने स्वयं यह मांग की है कि यू०एन०ओ० की भाषा हिन्दी होनी चाहिए तो बाहरी दुनिया में हिन्दी का माध्यम बढ़ रहा है, लेकिन हमारे देश में हिन्दी की क्या दुर्दशा है उसको देखकर थोड़ी सी चिन्ता हो जाती है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के अंदर...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० सत्यनारायण रेड्डी): जो हिन्दी भाषी सदस्य हैं वे भी हिन्दी में भाषण नहीं देते हैं, वे सदन में हिन्दी में भाषण नहीं देते हैं, यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री रामचन्द्र विकल: मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और जब आप यह कहते हैं कि हिन्दी भाषी लोग हिन्दी में नहीं बोलते हैं तो मैं भी उतने ही दुख से कहना चाहता हूं जितना आप कहते हैं इस बात को। महोदय, यह एक खानदानी विचार बना हुआ है कि बड़प्पन हमको मिलता है अंग्रेजी बोलने से, बड़े आदमी अंग्रेजी में बोलते हैं या अंग्रेजी बोलने वाले बड़े समझे जाते हैं। मुझे विदेशों का थोड़ा सा तजुर्बा है। यहां पर हीन भावना अपने राष्ट्र के बारे में। अपनी संस्कृति के बारे में और अपनी मातृभाषा के बारे में है जिन लोगों में ऐसी हीन भावना है, वही बाहरी देशों में छोटे समझे जाते हैं। मुझे रूस में, जापान में जाने का सौभाग्य मिला, वहां भी मैं धोती कुर्ता पहनकर गया। जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि सूट बनवाइए, मैंने कहा नहीं। मैं वहां अपनी भाषा में बोला और जो गौरव मुझे मिला मैं उसका वर्णन इस समय यहां नहीं करना चाहता और उन लोगों को पछताना पड़ा जो मुझसे कह रहे थे कि सूट बनवाओ।

महोदय, आज दुनिया में भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की वेशभूषा, भारत की भाषा, इन सब का बड़ा सम्मान है। लेकिन हम लोग अभागे हैं जो अपनी भाषा, अपना वेश, अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी के सामने छोटा समझते हैं। यह सभी के लिए चिन्ता का विषय है। मैं आपसे सहमत हूं और आपका आभार मानता हूं, आपकी भावना को मैं समझता हूं कि कितनी लगन से आप हिन्दी में सभा में बोलते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की कुछ बातें सरकार नहीं मानती और कुछ बातें सरकार की आयोग नहीं मानता। मैं समझता हूं कि उनको एक दूसरे की बात मान लेनी चाहिए, न्यायसंगत बात होनी चाहिए। थोड़ी सी चर्चा मैं और करना चाहता हूं जो यहां आवश्यक हो गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अंदर अल्पसंख्यकों में से, हरिजनों में से शैड्यूल्ड कास्ट या शैड्यूल्ड ट्राइब्स में से मैम्बर या सभापति बना देने से बहुत बड़ा संतोष हो सकता है। लोगों को शिकायत रहती है कि हमारे साथ पक्षपात किया जाता है, पक्षपातपूर्ण ढंग से हमको नहीं लिया गया तो कम से कम उनको यह दिखाई देगा कि हमारे वर्ग के लोग भी वहां हैं तो यह भावना कम होगी कि जिनके लोग वहां बैठे हुए हैं वे पक्षपातपूर्ण ढंग से चयन करते हैं। मैं कहता हूं कि योग्यता के आधार पर चयन होना सर्विसिज़ के लिए जरूरी है। मैं आपका अधिक समय न लेकर यही कहना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के अंदर निष्पक्ष चयन होना चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यकों, हरिजनों, आदिवादियों को वहां नुमाईदगी देनी चाहिए, सभापति या मैम्बर के रूप में वे

[श्री राम चन्द्र विकल]

रख दिए जायेंगे तो उनको भी संतोष होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में चयन होने लगे तो यह हमारे देश की जन भावनाओं का प्रतीक होगा। अंग्रेजी दुनिया की भाषा है, वह रहनी चाहिए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन भारत की भाषा, अपनी भाषा, हमारी हिन्दी भाषा और हमारे देश की सभी भाषाएं जो हैं वह फलें अंग्रेजी के मुकाबले में, मैं समझता हूं इससे भारत का गौरव बढ़ेगा और इन भाषाओं का गौरव बढ़ेगा। भाषा किसी देश की गौरव होती है। जिनकी अपनी कोई भाषा नहीं होती जिसे मैं विदेशी भाषा को गुलामी कह सकता हूं वह राजनीतिक आजादी लेने के बाद भी आज विदेशी भाषा की गुलामी हमारे देश पर ज्यादा छाई हुई है। अंग्रेजों के जमाने से न अंग्रेजियत थी न अंग्रेजी थी, यह अंग्रेजों के जाने के बाद बादल की तरह छायी हुई है। इनको हटाना ही होगा और साहसपूर्वक इन सदनों के द्वारा सब जगह से समाप्त की जा सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI DHARANIDHAR BASU-MATARI: Sir, I associate myself with him.

श्री कैलाशपति मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर जब-जब चर्चा होती है मेरे जैसे व्यक्ति के हृदय में अन्तरतम पीड़ा उभरनी शुरू हो जाती है। महोदय, मेरा जन्म 1947 के बाद नहीं हुआ है। आजादी के लिए जब गोरी चमड़ी वालों से उलझा जा रहा था उस समय मेरा जन्म हुआ और 1942 के आंदोलन में एक सहभागी विद्यार्थी के नाते रहा हूं। आज आजादी के 41 वर्ष बाद भी हम कहां खड़े हुए हैं। 1968 में भारत की संसद ने संकल्प लिया था और वह संकल्प आज कहां भटक रहा है खोजने के बाद भी पता नहीं लग रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय के सामने आज अखिल भारतीय संरक्षण संगठन के नौजवान अनशन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। जालंधर से लेकर दिल्ली तक लगभग 15 सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सत्याग्रही यहां पर आ रहे हैं। जब आजादी प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उस समय आजादी की कल्पना केवल शारीरिक आजादी नहीं थी, भारत की आत्मा की भी आजादी उसके साथ जुड़ी हुई थी। मुझे याद है स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी के दो वाक्य जो कविता में थे मंत्र के समान भारत के नौजवान उस समय रटा करते थे:

जिसको न निज गौरव, निज देश का अभिमान है,

वह नर नहीं, नर पशु निरा मृतक अंत समान है।

भारत की आजादी में भाग लेने वाले भारत के किसी एक भाग के नहीं थे। पूज्य महात्मा गांधी का जन्म अगर गुजरात के अंदर हुआ था तो स्व. राजगोपालाचारी का जन्म दक्षिण भारत के अंदर हुआ था। सम्पूर्ण भारत में सम्पूर्ण देश में एक भावना थी कि अंग्रेजियत जाये, अंग्रेजी जाये और भारत की आत्मा उभर कर आये।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 41 वर्षों के प्रयत्न के बाद भी छोटे-बड़े सारे विद्यालय मिला कर मात्र देश के अंदर 7 प्रतिशत हैं जो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं। 93 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं जो भारतीय भाषाओं में भारत के नौजवानों को, भारत के विद्यार्थियों को शिक्षण देते हैं। आश्चर्य लग रहा है। सात प्रतिशत विद्यालयों में पैदा हुए, अगर पूरे भारत की आबादी में देखें तो एक प्रतिशत भी नहीं होगा जिनके सिर पर लार्ड मैकाले के मानस की गुलामी छाई हुई है, जो उनके मानसपुत्र बने हुए हैं। केवल 99 प्रतिशत भारत की आत्मा जगी नहीं, भारतीय भाषा ने अपने गौरव का स्थान प्राप्त करा नहीं। भारत की मातृभाषाओं को, भारत की भाषाओं को एक बार गौरव प्राप्त हो गया तो वे अंग्रेजी की दासी बनकर काम नहीं कर सकती हैं और भारत की शक्ति को कोई गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश से शारीरिक गुलामी तो चली गई, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी भारत के लोगों के ऊपर बनी हुई है। संघ लोक सेवा आयोग कौन-सा तर्क लेकर अंग्रेजी की अनिवार्यता बनाये हुए है। मुझे याद है। दो साल पहले इसी दिल्ली में एम. टेक. का शोध कार्य हिन्दी में श्याम रुद्र पाठक नाम के विद्यार्थी ने प्रस्तुत किया था। उसको इसके लिए ताड़ना दी गई और कहा गया कि हिन्दी का शोध कार्य अंग्रेजी में बदलो, वरना तुम्हारा छात्र जीवन ही नष्ट कर दिया जाएगा। वह नवजवान सचमुच में भारत माता का सच्चा बेटा था, अड़ गया। उसने सोचा कि जीवन समाप्त हो जाएगा तो हो जाय, नौकरी नहीं मिलेगी तो नहीं मिले, लेकिन एम. टेक. का शोध कार्य हिन्दी से अंग्रेजी में कभी परिवर्तित नहीं करूंगा। मैंने भी विशेष उल्लेख के माध्यम से इस बात को सदन में उठाया। तब भी बात नहीं निपटी। इस सदन के तत्कालीन नेता और वित्त मंत्री

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह से व्यक्तिगत तौर पर मिला और कहा कि याद रखिये कि अगर श्याम रुद्र पाठक का जीवन नष्ट हो गया तो यह बात हम लोगों की आत्मा से जुड़ी हुई चीज है, इसको हम किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे। 45 संसद् सदस्यों ने एक साथ प्रधान मंत्री को पत्र लिखा, समाचार पत्रों में भी उसको प्रकाशित किया। तब जाकर श्याम रुद्र पाठक का शैक्षणिक जीवन सुरक्षित रह सका। अगर श्याम रुद्र पाठक एम. टेक. का शोध कार्य हिन्दी में प्रस्तुत कर सकता है। मुनीश्वर एम. डी. का शोध कार्य हिन्दी में प्रस्तुत कर सकता है,स्वर्गीय आचार्य रघुवीर टेक्नीकल शब्दों को लेकर एक विशाल शब्द-कोश हिन्दी में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कौन-सी ऐसी बाधा है, कौन-सी ऐसी कठिनाई है, भारत के माथे पर भारत की भाषायें सुशोभित न होकर भारत माता के मस्तक पर गुलामी के प्रतीक के रूप में अंग्रेजी भाषा रखी हुई है। यह हमारे स्वाभिमान पर प्रतिघात है, स्वाभिमान पर आघात है, देश की जनता के ऊपर आघात है। श्री रत्नाकर पाण्डेय जी ने जिन शब्दों में अपने उद्‌गार व्यक्त किये है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं, इस देश का कोई भी नागरिक जिसके अंतःकरण में एक भी कण देशभक्ति का है, देश के प्रति स्वाभिमान है, जो देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहता है तो वह प्रशासन के अन्दर, शासन के अन्दर प्रबन्ध में विदेशी भाषा को सहन नहीं करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के सामने क्या संकट है जिसमें वह अंग्रेजी की अनिवार्यता बनाये रखना चाहता है। अरे, याद रखो, अगर अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी रही तो अंगुलियों पर गिने जाने वाले मुट्ठी भर मैकाले के गुलाम पुत्रों को इस देश के शासन प्रबन्ध मे स्थान मिलता रहेगा और स्वतंत्र भारत के सच्चे पुत्रों को कभी उदित होने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जोरदार शब्दों में मैं मांग करता हूं कि सब स्तरों पर संघ लोक सेवा आयोग की सारी परीक्षाओं और देश के अन्दर होने वाली समग्र सारी परीक्षायें हिन्दी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से हों, सारा प्रबन्ध कार्य भारतीय भाषाओं और हिन्दी भाषा में हो और अंग्रेजी किसी भी कीमत पर अनिवार्य भाषा के रूप में बनकर न रखी जाय। तभी सच्चे अर्थों में भारत माता की सच्ची सेवा हो सकेगी, संविधान का सच्चे अर्थों में सम्मान होगा। इन शब्दों के साथ संघ लोक सेवा आयोग जिस जिद पर अड़ा हुआ है उसको समाप्त किया जाय।

लेकिन मेरे मन में एक द्विविधा है। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? वह भारत सरकार से ऊपर है, कैबिनेट से ऊपर है या प्रधानमंत्री से ऊपर है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट यह निश्चित करे और किसी भी कीमत पर इस अपमान को न चलने दे तो एक सैकेंड के अंदर संघ लोक सेवा आयोग का दिमाग ठिकाने लग जायेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रवैया जितनी जल्दी हो सके बदला जाय और सरकार शीघ्र से शीघ्र इस कलंक को समाप्त करे और भारत की भाषाओं को, जैसे कि संविधान की परिकल्पना थी, प्रशासन की भाषा बनाये। तभी यह बात समझ में आयेगी कि भारत की आम जनता इसमें भाग ले रही है। अगर अंग्रेजी की अनिवार्यता बनी रहेगी तो भारत के मजदूर परिवार का बच्चा, हरिजन परिवार का बच्चा, भारत के 5 लाख गांवों में बसे किसान परिवार का बालक कभी भी संघ लोक सेवा आयोग के द्वार तक भी नहीं पहुंच सकता है, वह कभी भी उच्च प्रशासनिक स्थान पर नहीं आ सकता है, कदापि नहीं आ सकता है। 41 वर्ष की आजादी के बाद भी आज भारत का प्रशासन मुट्ठी भर लोगों के द्वारा चल रहा है। इसलिये कहना पड़ता है कि देश आज दो खंडों मे बंट गया है। एक भारत बन गया है और एक इंडिया बन गया है। जहां 5 लाख गांवों मे भारत माता के पुत्र-पुत्री रहते हैं,जहां खेतों के ऊपर काम करने वाले रहते हैं, जहां मजदूर रहते हैं, हरिजन रहते हैं वह भारत है और जहां मुट्ठी भर अंग्रेज-दां हैं जो 7 प्रतिशत विद्यालयों के माध्यम से अंग्रेजी पढ़कर ऊपर आते हैं वे इंडिया हैं और वे भारत किसी भी कीमत पर बनने देना नहीं चाहते। भारत भारत-माता की आत्मा है । भारतीय भाषायें भारत माता की आत्मा है। भारत अब इस अपमान को अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। सचमुच में अगर देश में देशभक्ति की लहर जीवित है तो ऐसी क्रान्ति उठकर खड़ी होगी कि अंग्रेजी के नशे में झूलने वाले ध्वस्त होकर रह जायेंगे और वे कहां जायेंगे इसका उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिये समय है कि आप सावधान हो जांये। अतः भारत सरकार शीघ्रातिशीघ्र घोषणा करे कि संघ लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं का माध्यम भारतीय भाषायें होंगी। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सघ लोक सेवा आयोग के 35वें, 36वें और 37वें प्रतिवेदनों पर विचार करने हेतु खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने पूर्व वक्ताओं की बातों को सुन रहा था तो उस समय मुझे एक बात याद आ रही थी कि हमारे मुल्क से गुलामी तो चली गई लेकिन गुलामी की

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

प्रथा अभी तक नहीं गई। प्रथा न जाने का कारण, मैं इस मकसद से उठाना चाहता हूं कि अभी भी वह प्रथा चल रही है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) पीठासीन हुए]

इस आजाद मुल्क में भी, कलक्टर का बेटा कलक्टर बनता है, डाक्टर का बेटा डाक्टर बनता है और किसान का बेटा किसान ही रह जाता है, मजदूर का बेटा मजदूर ही रह जाता है। यह प्रथा जो है इसको अगर दूर करना है तो यह तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि हमारी बौद्धिक गुलामी की जंजीर नहीं टूटती। आपके सामने प्रश्न आयेगा कि आजाद भारत में एक संसद सदस्य ऐसी बात क्यों करता है। हो सकता है कि मैं कम जानता हूं पर मेरे जेहन में एक प्रश्न है क्या आप बता सकते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो आई. ए. एस., आई. एफ. एस. और आई. पी. एस. आदि के कम से कम 117 विभिन्न पदों के लिये परीक्षार्थी इम्तिहान में बैठते हैं। उनमें कितनी संख्या ऐसे परीक्षार्थियों की है जो गांवों से आते हैं? आप बम्बई में चले जाइये, मद्रास चले जाइये, कलकत्ता चले जाईये और दिल्ली में बैठे रहिये आपको बड़े बड़े इश्तेहार मिलेंगे जहां लिखा होगा कि अग्रवाल इंस्टीट्यूट के माध्यम से या फलां फलां इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर आप कम्पीटिटिव एग्ज़ामिनेशन मे बैठें तो शत-प्रतिशत आपके पास होने की गांरटी है जिनकी तरफ से हजार दो हजार, पांच हजार, दस हजार रूपये लिये जाते हैं। एक साधारण किसान का बेटा इतने रुपये नहीं दे सकता है, साधारण मजदूर का बेटा नहीं दे सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा सौतेलापन क्यों हैं? अगर ऐसी परीक्षाओं में बैठना है तो साधारण स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसके माध्यम से कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन क्यों नहीं होता है और यह दुकाने क्यों चलती हैं? हो सकता है कि ऐसी दुकानें चलाने वालों की यू०पी०एस०सी० के एग्जामिनर्ज़ के साथ, पेपर सेटर्ज़ के साथ मिलीभगत हो और इसीलिए यह शतप्रतिशत सफलता की एश्योरेंस भी देते हैं जब हम सोचते हैं साधारण स्कूलों की बात हम एक तरफ कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है कि हम अच्छी शिक्षा लोगों को देंगे और शिक्षा का माहौल बनाएंगे पर आज तक पब्लिक स्कूलों की प्रथा हम खत्म नहीं कर सके हैं। आप बताइये कम्पीटिटिव एग्जामिनेशन में जहां पर माध्यम अंग्रेजी है वहां एक महाकाली विद्यापीठ का पढ़ा हुआ छात्र क्या कम्पीट करेगा। जहां पर सेंट कोलम्बस, सेंट पेट्रिक और सेंट जोज़ेफ के बच्चे आ कर परीक्षा में बैठेगे जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी हो गई है। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त यह सोच कर कि जो भविष्य भारत का बनने वाला है वह ऐसे लोगों के हाथों में जा रहा है जिन्हें भारत की संस्कृति से कोई प्यार नहीं है। आज हम रुरल डवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए आई०ए०एस० अफसरों को हेवर्ड यूनीवर्सिटी में भेजते हैं, क्या पढ़ने के लिए, रुरल डवलपमेंट मेनेजमेंट पढ़ाने के लिए, आप जरा ध्यान से सोचें कि वहां के रूरल डवलपमेंट और यहां के रूरल कवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। हम उन छात्रों के लिए एक कृत्रिम भारत पेश करते हैं हेवर्ड यूनीवर्सिटी में और यहां जो वास्तविक भारत बसता है वहां ट्रेनिंग के लिए आई०ए०एस० और आई०पी०एस० अधिकारी जाना नहीं चाहते हैं। उस वक्त वह पैरवी करता है किसी शासक दल के एम०पी० की किसी मन्त्री की। जब उसकी बात नहीं सुनी जाती तो विरोधी पक्ष के नेताओं के पास जाता है कि कम से कम आप दबाव डाल कर मेरा ट्रांसफर करवा दें **(व्यवधान)** विरोध पक्ष का ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो कहता है मंत्री महोदय जरा हमारा ख्याल रखिये, हम आपका ख्याल रखेंगे। **(व्यवधान)**

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Sir, nobody is noting down the points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Jacob is noting down.

SHRI SUNIL BASU RAY: He is reading some other thing.

SHRI M.A. BABY: He is taking note of another gentleman's point.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा बहुत अहम प्रश्न हम लोग उठा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि गृह मन्त्रालय से कोई भी मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। इसके पहले भी यहां पर श्रीमती मारग्रेट अल्वा नोट कर रही थीं। यह हमारा दुभाग्य है । **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I think one of the Ministers should have come here.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: They are involved in Thakkar Report and, therefore, they could not attend.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Mr. Ahluwalia, I am noting down the points and the Home Minister will reply.

SHRI M. A. BABY: The demand has come from that side. You please take note.

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मैंने बता दिया है, अब सवाल कहां है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे एश्योरेंस चाहता हूं जब इस तरह का अहम मुद्दा उठाया जाए तो सम्बन्धित मन्त्रालय के मंत्री महोदय को यहां उपस्थित रहना चाहिये और नहीं तो जिस तरह हमारे पूर्ववक्ता डा० रत्नाकर पाण्डेय और कैलाशपति मिश्र जी ने कहा कि नीचे से जो नोट बन कर आ जाता है वही पढ़ कर सुना दिया जाता है।

मैं उस सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं जो सिस्टम कहता है कि कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डाक्टर का बेटा डाक्टर बनेगा, मजदूर का बेटा मजदूर बनेगा और किसान का बेटा किसान बनेगा। मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं। इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है।

SHRI M.A. BABY: Prime Minister's son will become the Prime Minister.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Like your Chief Minister's son will become the Chief Minister. Don't worry, you are going to adopt that culture. Don't forget that.

महोदय, यू०पी०एस०सी० का इम्तिहान करीब 117 पदों के लिये होता है। एक अहम सवाल है। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि हम जो इम्तिहान लेते हैं इनमें हिंदुस्तान की क्षेत्रीय भाषाओं, 15 भाषाओं में भी इम्तिहान दिया जा सकता है, किन्तु उनका सेपरेट पेपर होता है और जो आप्शनल पेपर हैं वे करीब 48 हैं। उन 48 आप्शनल पेपरों में इंजीनियरिंग, सांइस एण्ड टेक्नालाजी, हिस्ट्री, ज्याग्राफी, जिआलाजी आदि सब कुछ है। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम भारत की सस्कृति का क्या ज्ञान उन्हें देते हैं। भारत की सस्कृति के बारे में कितना कुछ पढ़ाते हैं। भारत की संस्कृति दिन पर दिन लुप्त होती जा रही है। कोई कलेक्टर अगर किसी दूसरे मजहब का है तो जाकर मन्दिर तुड़वा देता है, कोई दूसरे मजहब का जाता है तो मस्जिद तुड़वा देता है क्योंकि उसको वहां की संस्कृति से प्यार नहीं है। उसकी नजर के सामने हमारे सेक्युलरिज्म का आइडिया जमता नहीं है। वह अपनी पहचान बनाना चाहता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विदेश सेवाओं में जो काम करते हैं, इंडियन फारेन सर्विस में , वहां उनको भाषा की ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं में देखा है कि जिस आदमी को अरबी की ट्रेनिंग दी गयी है जिसमें सरकार का पैसा खर्च हुआ है, उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह हुई है जहां पर फ्रेंच बोली जाती है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जिस आदमी को फ्रेंच लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी गयी है उसको अरेबियन कंट्रीज में पोस्टिंग दी जाती है। ऐसा क्यों है। जिस भाषा में हमारे राजदूतों को ट्रेनिंग दी जाती है या हमारी विदेश सेवाओं में कार्यरत अफसरों को ट्रेनिंग दी जाती है उसी एरिये में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। पर ऐसा कुछ समझ में आया कि जिस वक्त उनका चयन होता है उस वक्त उनको कहा जाता है कि आप्शनल भाषा जो आपने लेनी है वह लें, तो लेते हुए कोई अरबी चुन लेता है, कोई फ्रेंच चुन लेता है, कोई जर्मन चुन लेता है, कोई स्पैनिश चुन लेता है। पर बाद में जब देखा जाता है कि यहां की पोस्टिंग में कोई फायदा नहीं है तो किसी तरह अपनी पोस्टिंग ऐसी जगह करवा लेते हैं जहां सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों।

[Shri S.S. Ahluwalia]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं जैसे विकलजी ने, कैलाश पति मिश्र जी ने और डा० रत्नाकर पाण्डेय जी ने भी हिन्दी के बारे में कहा। राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं आफिशियल हैं। हमें यहां भ्रांति है कि अंग्रेजी ही सारे विश्व की भाषा है। पर यह भ्रांति गलत है। विदेशों में घूमने पर पता लगता है कि वही विश्व की मूल भाषा नहीं है, फ्रेंच है, स्पैनिश है और राष्ट्रसंघ में 6 भाषाएं हैं,वहां 6 भाषाओं में बोलने का अधिकार है, इनमें फ्रेंच है, स्पैनिश है, अंग्रेजी है, रूसी है, चीनी है और अरबी है। मुझे उस वक्त अफसोस हुआ जब मैं अभी मानव अधिकार कमीशन को अटेंड करने जनेवा गया तो वहां जो स्पीकर लिस्ट बना रहे थे मैंने उनसे अंग्रेजी में प्रश्न किया कि मेरा नाम कहां पर है तो उन्होंने मुझे हिन्दी में जवाब दिया , उन्होंने नमस्कार कर कहा कि आपका नाम फलानी जगह पर है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी नेशनेलिटी क्या है? तो उसने कहा कि आफिस के बाद बताऊंगा । वह एक रूसी था।

इसी तरह मुझे केफेटेरिया में एक ब्रिटिशर मिला जिसने मुझे सत श्री अकाल बुलाई और हिन्दी में बात करनी शुरू कर दी।

श्री गुलाम रसूल मट्टू (जम्मू और कश्मीर): कहां पर?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: जेनेवा में, और मुझसे हिन्दी में बात करनी शुरू कर दी। तो हिंदी का प्रचार हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं और जिसका पहला सवाल है, हो सकता है कि लोग कह रहे हों, हमारे पत्रकार बन्धु भी और पूरे हाऊस के भी कुछ लोग सोच रहे हों कि यह हिंदी की प्रचार सारणी की तो बैठक है नहीं, यह तो यू०पी०एस०सी० के बारे में विचार हो रहा है और हिंदी की बात उठाई जा रही है।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार): जब प्रधान मंत्री ही अंग्रेजी में बोलेंगे, तो हिंदी कैसे चलेगी?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: बैठिये, बैठिये— वह आपसे बेहतर हिंदी बोलते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): आप कितना समय और लेंगे?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैं दो मिनट और लूगा।

श्री राम अवधेश सिंह: प्रधान मंत्री से भी तो हिंदी बुलवाइये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: मैं इसलिये यह बात उठाना चाहता हूं कि यू०पी०एस०सी० एक बहुत बड़ा संस्थान है, जिसके माध्यम से सारे हिंदुस्तान मे हिंदी का प्रचार हो सकता है और जब यह प्रावधान आएगा — हिंदी को महत्व दिया जा रहा है, तो यह पब्लिक स्कूलों की दुकान, अंग्रेजी स्कूलों की दुकान बंद होगी और वहां भी लोग हिंदी पढ़ने के लिये मजबूर होंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, 1987 की रिपोर्ट में जैसा कि लिखा गया है कि डिसिप्लिनरी एक्शन डिफरेंट-डिफरेंट टाईम पर जो-जो लिये गये हैं, इसमे अगर पेंडिंग का ब्यौरा देखा जाए, तो साहब 1982-83 में 85 केस पेंडिंग थे, 1983-84 में 156 केस पेंडिंग थे, 1984-85 में 148 केस थे, 1985-86 में 75 थे और 1986-87 में 64 थे, पर उसके बीच केसेज जो रिपोर्टेड होते हैं , उनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केस डिसपोज़ करने की स्पीड बढ़ गई है, किन्तु केस रिपोर्ट करने की संख्या भी बढ़ रही है।

1982-83 में 379 केस थे, 1983-84 में 326 केस रिपोर्टेड हुए थे, 1984-85 में 330 केस रिपोर्टेड हुए थे, 1985-86 मे 389 केस रिपोर्ट हुए थे और 1986-87 में 401 केस रिपोर्ट हुए थे।

यह जो दिन-प्रतिदिन इस अवस्था मे भी केसेज रिपोर्टेड हो रहे हैं, इन पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, कई तो अपने कानून में गलतियां हैं, खामियां हैं, उसका ही बेनिफिट आफ डाऊट लेकर रिलीज़ हो जाते हैं।

कितने लोगों को ससपेंड किया गया है, कितने लोगों को इसके तहत सजा दी गई है, कितने लोगों पर कड़े से कड़े एक्शन लिये गये हैं मैं यह जानना चाहता हूं?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहूंगा कि आज तक — 1982 से लेकर 1987 तक जितने इम्तहान हुए हैं, इनमें अर्बन इंडिया के कितने लोग हैं, अर्बन स्कूलों में पढ़े हुए कितने लोग हैं और रूरल

इंडिया के स्कूलों के कितने लोग इन परीक्षाओं में पास हुए हैं और कम्पीट किये हैं?

मैं आपके माध्यम से सरकार को एक अनुरोध करना चाहता हूं कि रिज़र्वेशन आपने जाति-पाति के नाम पर किया है, रिज़र्वेशन आपने और बहुत से आधारों पर किया है, पर मेरी गुजारिश है कि रिज़र्वेशन करने की जरूरत है रुरल इंडिया के छात्रों के नाम पर कि इतने रूरल स्कूलों के जो छात्र आयेंगे, उनके लिये इतनी सीट्स यहां रिज़र्व होंगी।

यही कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House stands adjourned and will meet again tomorrow, Tuesday, the 4th April 1989 at 11 a.m.

The House then adjourned at four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 4th April 1989.